न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1566/2005/जयपुर

1. रामनिवास पुत्र श्योनाथ
2. हनुमान पुत्र जगदीश – मृतक (जरिये कायममुकाम)
   2/1. मूर्ति देवी बेवा हनुमान
   2/2. श्योराम पुत्र हनुमान नाबालिग जरिये वली माता मूर्तिदेवी बेवा हनुमान
   –समस्त निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
3. राजाराम पुत्र हरनारायण
4. धनराज पुत्र हरनारायण
5. शीशराम पुत्र हरनारायण
6. कैलाश पुत्र रामनिवास
7. जयसिंह पुत्र रामनिवास
   –समस्त निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

....**अपीलांट्स/वादीगण**

बनाम

1. अडीलाल पुत्र प्रभातीलाल गूर्जर
2. मलखान पुत्र ग्यारसा हरिजन
3. दयाराम पुत्र ग्यारसी जाति धानका
   –समस्त निवासीगण ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः- 06-11-2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं. 146/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-03-2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188 के तहत ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली स्थित विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 295 हाल खसरा संख्या 450 व 455 के संबंध में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार किया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचाराधीन वाद में विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 3 विवाद्यक विरचित करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को अलग-अलग विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 24-06-2004 पारित की। उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया कि आराजी खसरा संख्या 450 व 455 में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर रेस्पोडेन्ट्स ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-03-2005 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-06-2004 को खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-03-2005 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत दायर किया था परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल धारा 188 के तहत वाद का विचारण कर आक्षेपित निर्णय पारित कर भूल की है। आगे बताया प्रश्नगत भूमि का अपीलार्थीगण को आवंटन किया गया है तथा ऐसे आंवटन को निरस्त कराये बिना अन्य व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त माना है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को बहाल नहीं करने में गलती की है। उनका आगें कहना है कि प्रतिवादीगण का आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा उन्हें प्रश्नगत रकबे से बेदखल किए जाने बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। उनका तर्क है कि आवंटित भूमि से अपीलार्थीगण को बेदखल करने बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण ने विवादित आराजी के संबंध में धारा 88 व 188 के तहत वाद दायर किया है, इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल धारा 188 के तहत वाद संस्थित होना मानकर तथा विचारण करने के कारण आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। इस दृष्टि से भी आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-03-2005 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-06-2004 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पत्रावली में उपलब्ध समस्त रेकार्ड के अनुसार यह प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि प्रश्नगत रकबा गैरमुमकिन नदी दर्ज है तथा ऐसी भूमि बाबत वादीगण जरिये वाद किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने अधिकारी

नहीं है। आगे बताया कि प्रश्नगत भूमि के वादीगण रेकार्डेड खातेदार नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वाद को आंशिक स्वीकार कर अनियमितता की है। उनका तर्क है कि चूँकि विवादित रकबा राजकीय गैरमुमकिन नदी की भूमि होने के कारण वादीगण की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी से ज्यादा और कुछ नहीं है तथा अतिक्रमी ऐसी भूमि पर धारा 188 के तहत दावा दायर कर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. उपलब्ध पत्रावली का विधि की दृष्टि से सम्यक परीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित आराजियात उपलब्ध समस्त राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन नदी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। अतः ऐसी भूमि के संबंध में वादीगण किन्हीं प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया दावा दायर करने की अधिकारिता नहीं रखते है। तर्क के लिए यदि ऐसी भूमि पर किसी काश्तकार का कब्जाकाश्त है तो उसकी हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी से ज्यादा और कुछ नहीं है। चूँकि विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन नदी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस बाबत यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-08-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। विधायिका की उक्त भावना एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की रोशनी में वादीगण प्रश्नगत रकबे बाबत न तो धारा 88 तथा न ही धारा 188 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

8. विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में न्यायालय ने कौनसे विधिक प्रावधानों के तहत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। जबकि प्रश्नगत भूमि उपलब्ध समस्त रेकार्ड के परीक्षण के बाद गैरमुमकिन नदी की भूमि होना परिलक्षित होती है। अतः वादीगण के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24-06-2004 नितान्त रूप से त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। उपलब्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किए गए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करने का कोई कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। ऐसे अविधिक निर्णय को अपास्त करने के प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

9. अपीलार्थीगण ने बहस में आक्षेप उठाया है कि प्रश्नगत रकबे के संबंध में वादीगण ने धारा 88 व 188 के तहत वाद दायर किया था तथा उक्त वाद में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में न्यायालय ने वाद को धारा 188 के तहत दायर होना कथित करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में हमारे द्वारा वादीगण के मूल दावे की प्रति का अवलोकन किया है तथा हम पाते है कि आलोच्य वाद केवल मात्र हुक्म इम्तनाई दवामी के अनुतोष बाबत ही दायर किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपलब्ध विधिक प्रावधानों की रोशनी में कोई भी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज गैरमुमकिन नदी की भूमि के संबंध में न तो धारा 88 तथा न ही धारा 188 के तहत किन्हीं प्रावधान के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में वादीगण ऐसी भूमि बाबत प्रथम दृष्टया ही वाद दायर करने की

अधिकारिता नहीं रखते है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत लिया गया आक्षेप निराधार पाया जाता है।

10. रेकार्ड से यह भी पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे के अस्थायी आवंटन बाबत तथ्यों को अपने जवाबदावे में विवेचित किया है, परन्तु प्रश्नगत रकबे के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विधायिका की भावना के अनुसार रेकार्ड में दर्ज राजकीय गैरमुमकिन नदी की भूमि का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता है। सांराशतः प्रश्नगत रकबे के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों ही पक्ष किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

11. मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अविधिक निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक व सारगर्भित विवेचन करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया है, जिसमें हम किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग होना संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करते हुए पेश किए जाने के कारण अपीलार्थीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। फलस्वरूप मामले में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है। तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गयी यह द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होना प्रकट होती है।

12. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-03-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य